रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937
No. 308] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

सं.यू-23013/14/2014-एल.डब्ल्यू.(.).-केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 13.10.2015 के समसंख्यक संकल्प में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 13 अक्तूबर, 2015 को प्रकाशित हुआ था, **पैरा 4** नीचे लिखे अनुसार पढ़ा जाएगा:

"(4) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति पक्षकारों की सुनवाई दोबारा करेगी, दोबारा प्रस्तुतियों की अनुमति प्रदान करेगी, यदि कोई हों और अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।"

ए.के.सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th November, 2015

No. U-23013/14/2014-L.W. (.).— In the resolution of Central Advisory Contract Labour Board, Ministry of Labour and Employment, Government of India, of even no. dated 13.10.2015 published in the Gazette of India, Extra-Ordinary Part-I, Section-I on 13th October, 2015, the **Para 4** shall be read as mentioned below:

"(4) The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months."

A.K. SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.